2025:CGHC:35874-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 596/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक: 28.04.2025

निर्णय पारित करने का दिनांक : .07.2025

1– लीलाराम, पिता सम्मेलाल चन्द्रा, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी– कचंदा, थाना–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

2– रोहित कुमार, पिता सम्मेलाल चन्द्रा, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी– कचंदा, थाना–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1–छत्तीसगढ़ राज्य , द्वाराः थाना प्रभारी, थाना–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अजय पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत

(सी ए वी निर्णय)

द्वारा रजनी दुबे, न्यायमूर्ति

1. यह अपील विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ति, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 39/2016 में दिनांक 11.02.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण को अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया गया है एवं निम्न वर्णित अनुसार दण्डित किया गया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन	प्रत्येक को पाँच वर्ष का सश्रम कारावास सहित

	500 रुपए का अर्थदण्ड,एवं अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन	प्रत्येक को आजीवन कारावास सहित 500 रुपए का अर्थदण्ड, एवं अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

2. अभियोजन की कहानी, जिसके कारण अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया, यह है कि दिनाँक 01.09.2016 को रात लगभग 11:30 बजे, हसौद थाने के प्रधान आरक्षक दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) और आरक्षक उमेश कश्यप (अ.सा.–11), जो हसौद कस्बे में गश्त पर थे, दोपहर 3:30 बजे बजरंग चौक पहुँचे। उन्होंने जैजैपुर की ओर से आ रही एक मोटरसायकल पंजीयन क्रमांक CG 11 F 6411 देखा,उसे अभियुक्त/अपीलार्थी चला रहे थे और उनके बीच एक बोरा रखा हुआ दोनों आरक्षकों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं रुके। फिर वाहन का पीछा किया गया और उसे हसौद बस स्टैंड के पास रोक लिया गया। जब पुलिस ने जूट के बोरे की जाँच की, तो उन्हें उसके अंदर एक महिला का शव मिला। अपीलार्थी क्रमांक 2– रोहित मोटरसायकल चला रहा था और अपीलार्थी क्रमांक 1– लीला राम ने बोरा बीच में रखा था और पीछे बैठा था। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे दो भाई और दो बहनें हैं, सभी विवाहित हैं और उनके पास 10 एकड़ भूमि है। उनकी माँ और बहनों ने जैजैपुर तहसील से भूमि के पाँच हिस्सों में बँटवारे के लिए नोटिस जारी करवा रखा है और माँ ने बहनों का साथ दिया। इसी कारण से, दिनाँक 01.09.2016 को रात में उन्होंने अपनी माँ जलबाई (जो अब मृतका हैं) की कचंदा गाँव में उनके कमरे में जब वह सो रही थी तो गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि वे साक्ष्य छिपाने के लिए शव को एक बोरी में भरकर मोटरसायकल पर महानदी में फेंकने ले जा रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो थाना हसौद में शून्य क्रमांक मर्ग और प्र.पी.–5 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतका के शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्र.पी–16 के माध्यम में तैयार की गई और मृतका के शव को सीएचसी, जैजैपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. (श्रीमती) सरोज कश्यप (अ.सा.–07) द्वारा मृतका के शरीर का शव परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटों को देखते हुए प्र.पी–17 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दी:–

> 1. गर्दन के दाहिने हिस्से पर कान के पीछे से ठीक 1 सेमी की दूरी पर 1.5 सेमी x 1.2 सेमी आकार का चोट का निशान (अंगूठे का निशान) है, जिसका रंग लाल भूरे रंग का है और यह अंडाकार है। कटे हुए हिस्से पर, चोट सूखी और चर्मपत्र जैसी थी जो किसी बोथरे वस्तु से लगी थी और चोट की प्रकृति मृत्युपूर्व की थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. गर्दन के दाहिने हिस्से पर कई रेखीय घर्षण के निशान हैं जिनका आकार 3 सेमी x 0.1 सेमी x 0.1 सेमी, 2.5 सेमी x 0.1 सेमी x 0.1 सेमी, 5 सेमी x 0.1 सेमी x 0.1 सेमी, 3.2 सेमी x 0.1 सेमी x 0.1 सेमी है, रंग में लाल अस्पष्ट और जो किसी कठोर और खुरदरी वस्तु से लगी और इन चोटों की प्रकृति मृत्युपूर्व की थीं।

3. गर्दन के बाईं ओर मास्टॉयड क्षेत्र के ठीक नीचे 1.5 सेमी x 1.2 सेमी आकार का, अस्पष्ट लाल–भूरे रंग का और अंडाकार आकार का खरोंच है। यह चोट किसी बोथरे वस्तु से कारित हुई। यह चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी ।

4. गर्दन के बाईं ओर चार खरोंच (उंगली के निशान) मौजूद हैं, जिनका आकार 2.1 सेमी x 1 सेमी, 1.3 सेमी x 1 सेमी, 1 सेमी x 1 सेमी है, जिसका किनारा अस्पष्ट है, डिस्क के आकार का लाल–भूरा रंग का है। विच्छेदन पर, सूखा और चर्मपत्र जैसा था, किसी बोथरे वस्तु से कारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दाएँ ऊपरी और निचले आर्बिटल क्षेत्र पर 5 सेमी x 5 सेमी का नीलांगु, लाल–नीले रंग का, कंजंक्टिवा कंजेस्टेड जिसमें रक्त का थक्का जमा है और रक्तस्राव हो रहा है, किनारा अस्पष्ट है, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है।

6. बाएँ ऊपरी और निचले आर्बिटल क्षेत्र पर 6 सेमी x 5 सेमी का नीलांगु , कंजंक्टिवा कंजेस्टेड जिसमें रक्त का थक्का जमा है, किनारा अस्पष्ट है, लाल–नीले रंग का, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है।

7. चेहरे के बाईं ओर बाईं भौंह से बाएं माथे तक फैला नीलांगु 4 सेमी x 3 सेमी, लाल–नीले रंग का, किनारे अस्पष्ट, बोथरे वस्तु से कारित है ।

8. सीने के बाईं ऊपरी सामने से कंधे तक का नीलांगु आकार 10 सेमी x 7 सेमी, किनारा अस्पष्ट, लाल–नीले रंग का, बोथरे वस्तु से कारित है ।

9. सीने के दाईं ऊपरी सामने से कंधे तक नीलांगु आकार 6 सेमी x 5 सेमी, लाल–नीले रंग का, कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है।

10. सीने के मध्य भाग पर 10 सेमी x 6 सेमी आकार का लाल रंग का खरोंच, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है ।

11. मैंडिबल के दाहिने हिस्से पर 5 सेमी x 3 सेमी आकार का लाल नीले रंग का नीलांगु, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है ।

12. ऊपरी होंठ पर 3 सेमी x 1 सेमी आकार का लाल नीले रंग का नीलांगु, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है ।

13. निचले होंठ पर 3 सेमी x 1 सेमी आकार का लाल–नीला रंग का नीलांगु, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से कारित है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी चोटों की प्रकृति मृत्युपूर्व की थीं। चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया है। मृत्यु का कारण दम घुटना था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

3. विवेचना के दौरान, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अपीलार्थीगण ने धारा 302 और 201/34 के अधीन अपराध कारित किया है, उनके विरुद्ध दिनाँक 02.09.2016 को प्र.पी.–04 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। थाना जैजैपुर के अपराध क्रमांक 170/16 में, थाना जैजैपुर ने नायब तहसीलदार हसौद को घटनास्थल का नजरी–नक्शा तैयार करने के लिए प्र.पी.–01 पत्र लिखा। उक्त पत्र के आधार पर प्र.पी.–02 और पंचनामा प्र.पी.–03 के अधीन नजरी–नक्शा तैयार किया गया। दिनांक 02/09/2016 को अपीलार्थी क्रमांक 1– लीला राम को अभिरक्षा में लिया गया और उसका मेमोरेंडम कथन प्र.पी.–22 दर्ज किया गया। दिनांक 02/09/2016 को, अपीलार्थी क्रमांक 1–लीलाराम चंद्रा के मेमोरेंडम कथन के आधार पर, उसके पास से 9 नग सोने का गेहूँ दाना, चम्पा माला, एक मोती माला, एक बोरी सिलने की सुई जब्त की गई और जब्ती मेमो प्र.पी.24 तैयार किया गया। अपीलार्थी क्रमांक 2–रोहित से, एक गहरे नीले रंग की मोटरसायकल हीरो स्प्लेंडर प्रो, पंजीयन क्रमांक CG 11 F 6411, साक्षियों के समक्ष जब्त की गई और जब्ती मेमो प्र.पी.23 तैयार किया गया। उसी दिन, अर्थात् दिनांक 02/09/2016 को, रक्तरंजित एक जूट का बोरा, एक जूट का बोरा, नीले रंग का एक ब्लाउज, लगभग 2 मीटर नारंगी रंग की एक

प्लास्टिक की रस्सी, उस स्थान से जब्त की गई जहाँ शव को प्र.पी.25 के माध्यम से रखा गया था। मोटरसायकल की आरसी बुक और राजस्व प्रकरण का नोटिस अपीलार्थी क्रमांक 2–रोहित से जब्ती मेमो प्र.पी– 34 के माध्यम से जब्त किया गया और राजस्व प्रकरण का नोटिस अपीलार्थी क्रमांक 1–लीला राम से प्र.पी–35 के के माध्यम से जब्त किया गया। दिनाँक 01.09.2016 को दोपहर 13.30 बजे, अपीलार्थी क्रमांक 1–लीला राम और अपीलार्थी क्रमांक 2–रोहित को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी मेमो प्र.पी–26 और 27 तैयार किए गए और गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार के सदस्यों को प्र.पी–37 के माध्यम से दी गई।

4. सामान्य विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अ.सा.–अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 सहपठित धारा 34 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अ.सा.–अपीलार्थीगण ने अपना दोष अस्वीकार किया एवं विचारण का अभिवाक किया।

5. अभियोग–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप विरचित किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अ.सा.–अपीलार्थीगण को दोषी साबित करने हेतु, अभियोजन ने 27 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अ.सा.–अपीलार्थीगण के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया, और स्वयं को निर्दोष और झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक किया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, इस निर्णय के कण्डिका 1 में उल्लिखित अ.सा.–अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, किंतु जिन परिस्थितियों से अपीलार्थी के अपराध का अनुमान लगाया जा सकता है, उनमें से कोई भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है और इसलिए, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हत्या अपीलार्थीगण ने ही की थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अ.सा.–अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो उन्हें प्रश्नाधीन अपराध से जोड़ता हो। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और इस प्रकार उन साक्ष्यों की विवेचना करने में गंभीर त्रुटि की है जो अपीलार्थीगण के लिए अभियोगात्मक हैं और उन साक्ष्यों को

खारिज कर दिया है जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हैं, जो दाण्डिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल चिकित्सक (अ.सा.–7) के परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है। अभियोजन प्रकरण में कोई भी हेतुक साबित करने में असफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अभियोजन द्वारा 27 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, किंतु किसी भी साक्षी ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। धारा 161 के अधीन दिए गए कथन और धारा 164 के अधीन दर्ज कथन और न्यायालय में किए गए कथनों में कुछ लोप और विरोधाभास है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर आधारित है, जो बेहद अविश्वसनीय है और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा साक्ष्य की विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। अभियोजन अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अ.सा.–अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाए।

अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने रामानंद उर्फ नंदलाल भारती विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 16 एससीसी 510 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचना करने के उपरांत अभियुक्तों–अपीलार्थीगण को उचित रुप से दोषसिद्ध किया है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील में कोई सार नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं उन्हें इस निर्णय के कण्डिका 01 में वर्णित अनुसार दण्डित किया।

12. इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतक जलबाई की मृत्यु मानववध थी या नहीं।

13. दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) प्रधान आरक्षक हैं। उन्होंने कथन किया है कि दिनाँक 01.09.2016 को रात लगभग 11:30 बजे, वह गश्त पर थे और एक आरक्षक उमेश कश्यप (अ.सा.–11) भी उनके साथ थे। जब वे रात लगभग 3:30 बजे बजरंग चौक पहुँचे, तो जैजैपुर की ओर से एक मोटरसायकल आई, जिस पर अपीलार्थी बैठे थे और उनके बीच एक बोरी रखी हुई थी। उन्होंने मोटरसायकल को रोका, किंतु उस पर बैठे अपीलार्थी नहीं रुके और भाग गए। उन्होंने यह भी कथन किया है कि इसके बाद उन्होंने अपीलार्थीगण का मोटरसायकल से पीछा किया और उन्हें बस स्टैंड के पास रोक लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि बोरी में क्या है, लेकिन उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया, फिर उन्होंने बोरी खोली और देखा कि उसमें एक शव था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थीगण से पूछा कि वह शव किसका है, तो उन्होंने बताया कि वह शव उनकी माँ का है, जिसकी उन्होंने हत्या की थी और वे उसे नदी में फेंकने के लिए एक बोरे में भरकर ले जा रहे थे। इसके बाद, यह साक्षी अन्य आरक्षकों के साथ अपीलार्थीगण को हसौद थाना ले आया और थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी और आगे की विवेचना प्रारंभ की। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसका कथन थाना प्रभारी ने प्र.पी–7 के माध्यम से लिया और उसके कथन के आधार पर एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी–4) पंजीबद्ध किया गया, जिसमें उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उसने यह भी कथन किया कि मर्ग सूचना क्रमांक 0/16 प्र.पी–5 है। पुलिस कर्मियों ने प्र.पी–6 के माध्यम से घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था और इस साक्षी ने उसमें अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उमेश कुमार कश्यप (अ.सा.–11) वह आरक्षक है जो दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) के साथ गश्त पर था। इस साक्षी ने भी दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) जैसा ही कथन किया है। उसने कथन किया है कि जब वह प्रधान आरक्षक दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) के साथ गश्त पर था, तो उन्होंने एक मोटरसायकल को रोका और अभियुक्त/अपीलार्थीगण के साथ एक बोरे में एक शव मिला।

15. मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्र.पी.–16 द्वारा अ.सा.–6 – पीलाबाई, मृतका की पुत्री, अ.सा.–12 – सूरज लाल, मृतका का भतीजा, अ.सा.–13 – चिकित्सक प्रसाद चंद्रा, मृतका का दामाद और अ.सा.–24 – हरनारायण यादव, एक ग्रामीण के समक्ष तैयार की गई और मृतक के शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा गया, जिसका संचालन डॉ. दरोज कच्छप (अ.सा.–7) ने किया और उसमें निर्णय के कण्डिका 2 में उल्लिखित 13 चोटें पाई गईं और चिकित्सक ने यह अभिमत दिया कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था, मृत्यु का तरीका दम घुटना था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 7 में, शव परीक्षण शल्य चिकित्सक (अ.सा.–7) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि मृतका को लगी चोटें जंगली जानवरों के हमले के कारण हो सकती हैं।

16. इस प्रकार, शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–17) सहित अभियोजन साक्षियों के उपरोक्त विश्लेषण से, अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी और मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था।

17. इस न्यायालय के समक्ष आगामी अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण ने ही अपनी माँ की गला घोंटकर हत्या की और अपराध के साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर आधी रात को अपनी मोटरसायकल पर ले गए?

18. अभियोजन की कहानी से यह स्पष्ट है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन की कहानी प्रधान आरक्षक दलगंजन सिंह (अ.सा.–2), आरक्षक उमेश कुमार कश्यप (अ.सा.–11) के कथनों, अपीलार्थीगण के मेमो और उसके बाद की जब्ती पर आधारित है।

19. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को इस आधार पर दोषसिद्ध किया कि मृतका का शव आधी रात को उनके कब्जे में मिला था और वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन कोई भी उचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहे। यह साबित करने का भार अपीलार्थीगण पर है कि शव उनके कब्जे में कैसे आया, किंतु वे कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहे और इस प्रकार उन्हें दोषसिद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकरण में, अभियोजन की कहानी की नींव दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) और उमेश कुमार कश्यप (अ.सा.–11) के कथनों के आधार पर रखी गई, जिन्होंने गश्त के दौरान आधी रात को अपीलार्थीगण को रोका और एक बोरा बरामद किया जिसमें मृतका का शव मिला था और अन्य अभियोजन साक्षियों ने कथन किया है कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थीगण ने उनकी माँ जलबाई की हत्या की थी।

21. लीला बाई (अ.सा.–5) अपीलार्थीगण की बहन और मृतक जलबाई की पुत्री है। उसने कथन किया है कि वह सिंघरा गाँव में अपने ससुराल में रहती है। उसकी माँ का देहांत दिनाँक 02.09.2016 को हुआ और अभियुक्त/अपीलार्थी उसकी माँ की मृत्यु का कारण बना। उसके पिता समेलाल का देहांत दिनाँक 13.05.2016 को हुआ। अपने पिता की मृत्यु के समय, वह अपने दिवंगत पिता के दशगात्र समारोह में शामिल होने गई थी और उसी समय, अभियुक्त/अपीलार्थीगण, अमरीका बाई और नीता बाई ने उसके साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया। उसके माता और पिता अलग–अलग रहते थे और उसकी माँ ने उससे कहा कि यदि वह खाना नहीं खाना चाहती, तो खाना ना खाये और अपने घर चली जाए। उसने यह भी बताया कि अगले दिन सुबह, वह अपनी बहन पिलाबाई के साथ गाँव की सरपंच

उत्तरा कुमारी के पास गई और कहा कि उसके पिता का नाम भूमि के अभिलेख से हटाते हुए, इस साक्षी, उसकी बहन पिलाबाई, उसकी माँ मृतका जल बाई और दोनों भाइयों(अभियुक्त/अपीलार्थीगण) का नाम जोड़ दिया जाए। तब गाँव के सरपंच ने उनसे कहा कि जब उनके भाई (अभियुक्त/अपीलार्थीगण) आएंगे, तो वह उन्हें बता देंगे। उसने यह भी बताया कि उसके बाद जब अभियुक्त/अपीलार्थी रोहित गाँव के सरपंच के पास गया, तो उसने उसे (अपीलार्थी रोहित को) बताया कि उसकी बहनें आई हैं और भूमि से उसके पिता का नाम हटाने के बाद, वह (यह साक्षी) उनका (इस साक्षी और उसकी बहन का) और उनकी माँ का नाम भूमि के अभिलेख में दर्ज करने के लिए कह रही थी।तब अभियुक्त/अपीलार्थी रोहित ने सरपंच को बताया कि उनका बँटवारा पहले ही हो चुका है, जिसके बाद सरपंच ने इसका दस्तावेज़ी प्रमाण माँगा और उसके पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र माँगा। तब अभियुक्त/अपीलार्थी रोहित वहाँ से चला गया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि लगभग 8–10 दिन बाद उसकी माँ जलबाई ने उसे बताया कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है और मृतक और इस साक्षी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद, यह साक्षी, उसकी बहन पिलाबाई और मृतक जलबाई पटवारी के पास गईं और पटवारी से अपने पिता समेलाल की भूमि की स्थिति के बारे में पूछा। तब पटवारी ने उन्हें बताया कि उसने अभियुक्तों /अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर लिए हैं और उनका बंटवारा पहले ही हो चुका है, इसलिए उसने समेलाल की भूमि में दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दिए हैं। उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने पटवारी से यह भी कहा था कि उनके माता–पिता का निधन हो चुका है और केवल उनके नाम दर्ज होने चाहिए, किसी और का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। कण्डिका 5 में इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह और उसकी बहन पटवारी के पास गईं और उससे पूछा कि उसने बिना किसी से पूछे अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के नाम कैसे दर्ज कर लिए, वे पुत्रियाँ हैं, उनकी माँ जलबाई भी जीवित हैं और उसने सरपंच से क्यों नहीं पूछा। फिर पटवारी ने उन्हें बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उन्हें बताया था कि उनके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है। इसके बाद, पटवारी ने इस साक्षी से कहा कि वे सब आ जाए, वह उन सबके नाम दर्ज करवा देगा। इसके बाद, यह साक्षी और उसकी बहन,मृतका के साथ, अभियुक्त/अपीलार्थीगण के पास गई और उनसे कहा कि वे सभी (अभियुक्त/अपीलार्थीगण) पिता की संपत्ति में केवल अपने ही नाम दर्ज करवाए हैं, उनकी माँ जीवित हैं, उनका नाम भी दर्ज करवाएँ। तब अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने इस साक्षी से कहा कि वे उनके (इस साक्षी, उसकी बहन और माँ जलबाई के) नाम दर्ज नहीं करवाएँगे, क्योंकि उन्होंने (अभियुक्त/अपीलार्थीगण) पहले ही आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। इसके बाद, वे फिर से पटवारी के पास गए। उसने कण्डिका 6 में यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थीगण पटवारी के पास नहीं आए तो उसने उन्हें फ़ोन किया, फिर वे आए और पटवारी से कहा कि उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए और पूरी भूमि उन्हें (इस साक्षी, उसकी बहन और माँ जलबाई) दे दी जाए और उनसे बहस करने लगे। इसके बाद, पटवारी ने अभियुक्त/अपीलार्थीगण को समझाया कि नाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जोड़ने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद पटवारी ने उनके हस्ताक्षर लिए और हम सभी के नाम भूमि के अभिलेख में दर्ज कर दिए। इसके बाद, वे घर वापस आ गए और अभियुक्त/अपीलार्थीगण अपनी माँ जलबाई को गालियाँ देने लगे और उनसे कहा कि यदि वह कहेगी कि उसकी बेटी है, तो वे उसे खाना नहीं देंगे और अगर वह कहेगी कि उसकी बेटी नहीं है, तो वे उसे खाना देंगे। उसके बाद, उसकी माँ मृतक जलबाई ने कहा कि उसकी बेटी है और उस दिन से अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने जलबाई को खाना देना बंद कर दिया और अपने-अपने घरों में रहने लगे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 8 में यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी उसकी माँ जलबाई को पुराने घर में अकेला छोड़ गए थे, तब उसकी माँ जलबाई ने उन दोनों बहनों से कहा था कि वह उन दोनों को भूमि का बँटवारा कर देगी और वह (मृतका) घर में अकेली नहीं रह पाएगी। वह उनके (इस साक्षी के) घर आकर कुछ दिन रहेगी। फिर इस साक्षी ने मृतका से कहा कि वे बँटवारा नहीं लेंगे। यदि उसे डर लग रहा है तो वह 15 दिन के लिए उनके घर आकर रह सकती है। फिर मृतका जलबाई ने कहा कि जब तक वे (यह साक्षी और उसकी बहन) बँटवारा नहीं ले लेते, वह (मृतका) उनके घर आकर उसके साथ नहीं रहेगी। इस साक्षी ने कण्डिका 9 में यह भी कथन किया है कि इसके बाद, वे (यह साक्षी और उसकी बहन) जैजैपुर स्थित तहसील कार्यालय गए और पाँच लोगों के बीच बँटवारे के लिए एक आवेदन दिया और उसके बाद कोटवार के माध्यम से अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को बँटवारे का नोटिस भेजा गया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अगली सुबह गाँव के सरपंच भूपेंद्र बंजारे उसके पास आए और उसके पति को बताया कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उसकी सास की हत्या कर दी है और उसका शव एक बोरे में भरकर ले जा रहे थे और थाना हसौद की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी (अ.सा.-5) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि दलगंजन सिंह (अ.सा.-2) उसके पति का नातेदार है और उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए दाण्डिक षड्यंत्र रचा था।

23. पीलाबाई (अ.सा.-6) ने लगभग वही कथन किया है जो लीलाबाई (अ.सा.-5) ने किया है और उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि हसौद थाना की पुलिस ने उन्हें बताया था कि उसके भाई (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने उनकी माँ जलबाई की हत्या कर दी है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया है कि उसने दलगंजन सिंह (अ.सा.-2) के साथ मिलकर दाण्डिक षड्यंत्र रचा था।

24. पंचराम (अ.सा.-8), बुद्धेश्वर (अ.सा.-9), सूरज लाल (अ.सा.-12), चिकित्सक प्रसाद चंद्रा (अ.सा.-13), खिकराम चंद्रा (अ.सा.-20) और हरनारायण यादव (अ.सा.-24), सभी साक्षियों ने

कथन किया है कि थाना हसौद की पुलिस ने उन्हें बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी माँ की हत्या करने के बाद, उसके शव को बोरी में भरकर अपनी मोटरसायकल पर ले जा रहे थे।

25. प्र.पी.–22 अभियुक्त/अपीलार्थी लीलाराम (ए–1) का मेमोरेंडम कथन है और उसके मेमोरेंडम कथन के अनुसार, प्र.पी.–23 के माध्यम से एक मोटरसायकल जिसका पंजीयन क्रमांक CG–11–F–6411 है, और प्र.पी.–24 के के माध्यम से एक सोने का हार, एक मोती का हार और एक बोरी सिलने की सुई जब्त की गई।

26. बुद्धेश्वर (अ.सा.–9) और खिकराम चंद्रा(अ.सा.–20) ने मेमो (प्रदर्श पी.–22) पर 'ए से ए' और 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और उन्होंने जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी.–23, पी–24 और पी–25) पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, यद्यपि, मुख्य परीक्षा में, उन्होंने मेमो और जब्ती का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षण कराया, किंतु उन्होंने अभियोजन के सभी सुझावों का खंडन किया और कथन किया कि उन्होंने केवल पुलिस थाने में सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने कोई कथन नहीं दिया है और न ही कोई जब्ती की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. बुद्धेश्वर (अ.सा.–9) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब उसने थाना में सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय, अभियुक्त/अपीलार्थी उसके सामने उपस्थित नहीं थे। खिकराम चंद्रा (अ.सा.–20) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी शव को बोरे में भरकर ले जा रहे थे और पुलिस ने मृतक का शव थाने में दिखाया है।

28. इस प्रकार, अभियोजन के सभी साक्षियों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकरण में मुख्य साक्षी पुलिस अधिकारी दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) और उमेश कुमार कश्यप (अ.सा.–11) हैं, फिर भी यह न्यायालय केवल इसी आधार पर उनके कथन को खारिज नहीं कर सकता और हमें दोनों साक्षियों के कथनों की अधिक सावधानी और सतर्कतापूर्वक परीक्षण करना होगा।

29. दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.–4) दर्ज कराई, जिसके अनुसार, यह दिनाँक 02.09.2016 को सुबह 5.00 बजे दर्ज की गई और घटना की तारीख और समय 02.09.2016 को सुबह 3.30 बजे है। इसके अतिरिक्त, मर्ग सूचना (प्र.पी.–5) दिनाँक 02.09.2016 को सुबह 5.20 बजे दर्ज की गई। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया है कि जब उसने एक कर्मचारी के साथ मिलकर अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की मोटरसायकल को रोका था, तब वहाँ

चिकित्सक प्रसाद चंद्रा (अ.सा.–13) और पंचराम (अ.सा.–8) थे और शव बोरी में थे। और उन्होंने अ.सा.–13 और अ.सा.–8 की निशानदेही पर दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को झूठा फँसाया।उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव का भी खंडन किया है कि वे अ.सा.–13 और अ.सा.–8 को बोरी सहित थाना ले गए थे। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में अपने कथन पर अडिग रहा है।

30. उमेश कुमार कश्यप (अ.सा.–11) ने केवल दो व्यक्तियों के बारे में कथन किया है जो मोटरसायकल चला रहे थे और जब उन्होंने उनका पीछा किया, तो उन्होंने बोरा फेंक दिया जिसमें एक शव मिला था, जिसे वे थाना ले गए और थाना प्रभारी को सूचित किया। अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसका प्रतिपरीक्षण कराया, किंतु उसने इस बात से इनकार किया कि मोटरसायकल सवार ने अपना नाम लीलाराम और रोहित कुमार बताया था और भूमि के बंटवारे के विवाद के कारण अपनी माँ की हत्या कर दी थी। उसने कथन किया है कि बोरे में शव को थाना लाने के बाद वह अपने घर चला गया।

31. यदि इन दोनों साक्षियों (अ.सा.–2 और अ.सा.–11) के परिसाक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण किया जाए, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि घटना की तारीख को, दोनों साक्षी थाना– हसौद में तैनात थे और 1–2/09/2016 की मध्यरात्रि को गश्त ड्यूटी पर रहते हुए, उन्होंने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा एक मोटरसायकल चलाते हुए देखा। दलगंजन सिंह (अ.सा.–2) ने अविलंब प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं मर्ग सूचना दर्ज कराई और घटना की सूचना दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. अभियोजन इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी और अ.सा.–2 अपने कथन पर अडिग रहा और उसने यह तथ्य साबित कर दिया कि दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के पास उनकी माँ जलबाई का शव एक बोरे में मिला था।

33. लीला बाई (अ.सा.–5) और पीला बाई (अ.सा.–6), अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की बहन, ने कहा है कि अभियुक्तों–अपीलार्थीगण, उनकी माँ और उनके बीच संपत्ति का विवाद था। यह भी साबित होता है कि घटना वाली रात को अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने अपनी माँ के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी।

33. लीला बाई (अ.सा.–5) और पीला बाई (अ.सा.–6), अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की बहन, ने कथन किया हैं कि अभियुक्तों–अपीलार्थीगण, उनकी माँ और उनके मध्य संपत्ति का विवाद था। यह भी साबित होता है कि घटना की रात को अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने अपनी माँ के शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था।

34. यदि प्रकरण घर में हत्या या अभियुक्त के कब्जे में मिली शव का है, तो अभियुक्तों के कंधों पर यह स्पष्ट करने का भारी दायित्व है कि मृतका की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। इस प्रकरण में, मृतका का शव अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कब्जे में पाया गया था और साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्तों/अपीलार्थीगण, उनकी मृतका माँ और बहनों के मध्य भूमि का विवाद था और इस कारण उन्होंने अपनी मृतका माँ को खाना देना बंद कर दिया था। घर के अंदर या गुप्त रूप से की गई हत्या से जुड़े प्रकरण का निराकरण करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **त्रिमुख मारोती किरकन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681** में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "14. यदि कोई अपराध किसी घर की चहारदीवारी के भीतर और ऐसी परिस्थितियों में होता है जहाँ हमलावरों को योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठीन होगा, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कठोर सिद्धांत पर, जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, न्यायालयें बल देती हैं। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए दाण्डिक विचारण की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्षता करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न पाए। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं। (देखें स्टरलैंड विरुद्ध लोक अभियोजन निदेशक (1944 एसी 315) – पंजाब राज्य विरुद्ध करनैल सिंह (2003) 11 एससीसी 271 में अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा अनुमोदन से उद्धृत)। विधि अभियोजन पर यह दायित्व अधिरोपित नहीं करता है कि इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसे प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो या किसी भी स्थिति में अत्यंत कठिन हो। अभियोजन का दायित्व है कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में रखते हुए प्रस्तुत करने में सक्षम हो। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को विचार में रखना आवश्यक है जिसमें व्यक्त किया गया है कि जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। इस धारा से संलग्न उदाहरण (ख) इस प्रावधान की विषयवस्तु और सीमा पर कुछ प्रकाश डालता है और यह निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(ख) क पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।"

15. जहाँ हत्या जैसा अपराध किसी घर के भीतर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ प्रकरण को साबित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पर होगा, किंतु आरोप को साबित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरणों के समान नहीं हो सकती। यह भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, घर के निवासियों पर अपराध कैसे किया गया, इसका ठोस स्पष्टीकरण देने का भार होगा। घर के सदस्य केवल मौन रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते इस आधार पर कि अपना प्रकरण साबित करने का भार पूर्णतया अभियोजन पर है और किसी भी अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इसके अतिरिक्त, **राजस्थान राज्य विरुद्ध ठाकुर सिंह (2014) 12 एससीसी 211** में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"17. त्रिमुख मारोती किरकन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681) के एक विशिष्ट प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब पत्नी उस आवास में घायल होती है जहाँ पति सामान्यतः रहता है, और पति अपनी पत्नी को लगी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि पति ही चोटों के लिए ज़िम्मेदार है। यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 694, कण्डिका 22)

"22 जहाँ किसी अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध उस आवास में हुआ था जहाँ पति भी सामान्यतः रहता था, यह कई बार अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को चोटें कैसे आईं या कोई स्पष्टीकरण देता है जो झूठा पाया जाता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो दर्शाती है कि वह अपराध करने के लिए ज़िम्मेदार है।"

18. इस न्यायालय ने गणेशलाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य {(1992) 3 एससीसी 106)} प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें अपीलार्थी पर उसके घर के भीतर अपनी पत्नी की हत्या के लिए अभियोजन चलाया गया था। चूँकि मृत्यु उसकी अभिरक्षा में हुई थी, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में मृत्यु के कारण का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य था। अभियोजन द्वारा प्रकरण से इनकार और किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत माना गया, किंतु इस परिकल्पना के अनुरूप था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी की हत्या के प्रकरण में मुख्य अभियुक्त था।

19. इसी प्रकार, ज्ञानेश्वर विरुद्ध राज्य महाराष्ट्र {(2007) 10 SCC 445} में इस न्यायालय ने यह अवधारित किया कि चूँकि मृतका की हत्या उसके ससुराल में की गई थी और अपीलार्थी ने यह प्रकरण साबित नहीं किया था कि अपराध किसी और द्वारा किया गया था या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना थी, इसलिए पति को अपनी पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों की व्याख्या करनी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. जगदीश विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य {(2009) 9 एससीसी 495} में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एससीसी 503, कण्डिका 22)

"22... यह दोहराना आवश्यक है कि अपीलार्थी और मृतक परिवार के सदस्य ही उस कमरे में मौजूद थे और इसलिए अपीलार्थी का यह दायित्व था कि वह अपने अपराध के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए कुछ स्पष्टीकरण देता।

21. हाल ही में, ज्ञान चंद विरुद्ध हरियाणा राज्य {(2013) 14 एससीसी 420} में इस न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ दिया गया और शंभू नाथ मेहरा प्रकरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की व्याख्या को दोहराया गया। ज्ञान चंद प्रकरण में उद्धृत निर्णयों में से एक पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध मीर मोहम्मद उमर का है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के पूर्व सिद्धांत

को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करते हुए एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है: (मीर मोहम्मद उमर प्रकरण (2000) 8 एससीसी पृष्ठ 393 अनुच्छेद 35)

"35. बहस के दौरान हमने उत्तरवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से काल्पनिक दृष्टांत के आधार पर एक प्रश्न पूछा। यदि किसी बालक का उसके अभिभावक की वैध अभिरक्षा से उसके लोगों की नज़रों के सामने व्यपहरण कर लिया जाता है और अपहरणकर्ता बालक सहित गायब हो जाते हैं, तो सामान्य निष्कर्ष क्या होगा यदि बालक का क्षत–विक्षत शव कुछ घंटों के भीतर कहीं और से बरामद हो जाए। प्रश्न यह पूछा गया कि क्या उपरोक्त तथ्यों के प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपहरणकर्ताओं ने बालक की हत्या की होगी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः स्वीकार किया कि ऐसे प्रकरण में निष्कर्ष यथोचित रूप से निश्चित है। कि बालक की हत्या अपहरणकर्ताओं ने की है, जब तक कि वे अन्यथा स्पष्टीकरण न दें।"

22. इसलिए, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त का अपराध साबित करने का भार अभियोजन पर है, किंतु किसी अपराध से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य भी हो सकते हैं जो केवल अभियुक्त को ही ज्ञात हो, या अभियोजन के लिए उन्हें साबित करना लगभग असंभव है। इन तथ्यों को अभियुक्त द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक है और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो उन तथ्यों के आधार पर उसके दोषी होने की ओर इंगित करती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. अब यदि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में देखा जाए, तो जो तस्वीर उभरती है वह लगभग एक समान है। इस प्रकरण में मृतका की मृत्यु निर्विवाद रूप से एकांत में हुई थी। वर्तमान प्रकरण जैसे मामलों में, हमलावर को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है और यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कठोर सिद्धांत पर बल दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठीन होता है। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए अपने कथन में अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की ओर से कोई भी उचित स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि उनकी माँ की मृत्यु कैसे हुई। यह उनका परम दायित्व था कि वे अपने बचाव में ठोस और सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके चीजों को स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभियुक्त/अपीलार्थी लीलाराम के मेमो (प्रदर्श पी/22) पर, मोटरसायकल पंजीयन क्रमांक CG–11–

F–6411 (प्रदर्श पी/23), सोने और मोतियों का हार और एक बोरी सिलने की सुई (प्रदर्श पी–24) और एक रक्तरंजित जूट का थैला, एक रक्तरंजित ब्लाउज और एक नारंगी रंग की रस्सी (प्रदर्श पी–25) बरामद की गई, और अभियुक्त/अपीलार्थी रोहित (अभि.–2) की निशानदेही पर, मोटरसायकल पंजीयन क्रमांक CG–11–F–6411 का आरसी बुक और राजस्व प्रकरण में जारी नोटिस (प्रदर्श पी–34) जब्त किया गया।

37. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित अभिमत है कि अभियोजन ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को अपनी माँ जलबाई की हत्या करने और अपराध के साक्ष्य छिपाने के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं, और इस प्रकार, विचारण न्यायालय भी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 302 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायोचित है। तदनुसार,वर्तमान अपील में आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

38. इस प्रकार,अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है। आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है। चूँकि पूर्व से ही जेल में है, अतः अभियुक्त के गिरफ्तारी आदि के संबंध में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

40. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक जहाँ अपीलार्थीगण अपने कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं,को प्रेषित किया जाए ताकि उसे अपीलार्थीगण को दिया जा सके और उन्हें सूचित किया जा सके कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

सही/– **(रजनी दुबे)** **न्यायाधीश**	सही/– **(सचिन सिंह राजपूत)** **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur